न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 34/2022 तारीख दायर :–13.04.2022 दिनांक निर्णय :–21.04.2021

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

लक्ष्मण पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत धारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई की गैरसायल लक्ष्मण पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा वाके ग्राम भजेड़ा की चारागाह राजकीय भूमि के आ0ख0न0 404 रकबा 0.55 हे0 के भाग 0.02 हे0 पर सरसों के फासें(ईधन) व कांटे की बाड़ लगाकर कर रबी सम्वत् 2079 में अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत गैरसायल को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस द्वारा तलब किया गया। गैरसायल उपस्थित आया गैरसायल द्वारा नोटिस जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। गैरसालय द्वारा नोटिस जवाब में यह कथन किया गया है कि उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि पेड़ लगा रखे है। गैरसायल की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतीत होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का भजेड़ा के अनुसार राजकीय भूमि पर गैरसायल द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्वत 2079 में सरसों के फासें(ईधन) व कांटे की बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है किः– अतिक्रमी लक्ष्मण पुत्र मूलचन्द जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ को आराजी ख0न0 404 रकबा 0.55 हे0 के भाग 0.02 हे0 किस्म चारागाह वाके ग्राम भजेड़ा से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान **1.00** की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का भजेड़ा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 21.04.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(गिर्राज प्रसाद मीना)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)